रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-823/2026/1380/22-2-2026-17(1037)/2025
लखनऊ : दिनांक: 25 जून, 2026

शुद्धि-पत्र

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामनरेश (कैदी संख्या-75/2022) पुत्र श्री मंगरू, निवासी-ग्राम-चौरहट, थाना-रामनगर, जनपद-वाराणसी (हाल पता-चौरहट, पुलिस चौकी अलीपुर, थाना-मुगलसराय, चन्दौली) को कारागार से मुक्त किये जाने विषयक कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-684/2026/1786/22-2-2025-17(1037)/2025, दिनांक 05 जून, 2026 के पृष्ठांकन सं0-2 व 3 पर जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी एवं पुलिस आयुक्त, वाराणसी अंकित हो गया है, जिसे जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी एवं पुलिस आयुक्त, वाराणसी के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली एवं पुलिस अधीक्षक, चन्दौली पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 05.06.2026 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष अंकित तथ्य यथावत रहेंगे।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-823/2026/1380(1)/22-2-2024-17(384)/2022 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली।
3- पुलिस अधीक्षक, चन्दौली।
4- जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त, वाराणसी।
6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी को उनके पत्र पृष्ठांकन संख्या-1277/ए0आर0-1/2026, दिनांक 20 जून, 2026 के सन्दर्भ में।
7- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-684/2026/1786/22-2-2025-17(1037)/2025

लखनऊ: दिनांक: 05 जून, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामनरेश (बन्दी सं0-75/2022) पुत्र श्री मंगरू, ग्राम-चौरहट, थाना-रामनगर, जनपद-वाराणसी का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-33/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-05, वाराणसी के आदेश दिनांक 27.09.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.10.2019 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01.12.2023 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 15.06.2025 तक अपरिहार 03 वर्ष, 09 माह 23 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष 05 माह, 14 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-684/2026/1786(1)/22-2-2025 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

3- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in